संख्या– 77 /9–1–2018–2मेला/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला, इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 28 फरवरी, 2018

विषयः– कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2019 के लिए अस्थाई पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1333/पन्द्रह–कु0मे0 2019(2017–18), दिनांक 28.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2018–19 की सुव्यवस्थित तैयारी एवं संचालन के लिए तालिका के कमांक–1 से 8 पर उल्लिखित कार्मिको (कुल 17 पद) का सम्मुख स्तम्भ–4 अनुसार स्तम्भ–5 में अंकित वेतनमान में अस्थाई पद सृजन करने तथा तालिका के कमांक–9 से 14 पर उल्लिखित कार्मिकों (कुल 13 पद) का स्तम्भ–4 के अनुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक अथवा कुम्भ मेला की समाप्ति (इनमें से जो पहले हो) तक के लिए, यदि इसके पूर्व यह पद बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0 सं0	पदनाम	पद की संख्या	सृजन हेतु प्रस्तावित तिथि	संवर्ग/वेतनमान
1	2	3	4	5
1	मेलाधिकारी	1	नियुक्ति की तिथि से	आईएसएस संवर्ग के उपयुक्त वेतनमान में
2	अपर मेलाधिकारी	1	तत्काल प्रभाव से	पीसीएस संवर्ग के उच्चतम वेतनमान में
3	उप मेलाधिकारी	1	तत्काल प्रभाव से	पीसीएस संवर्ग के वेतनमान में
4	प्रबन्धक	1	तत्काल प्रभाव से	लेवल–10(रू0–56100–177500)
5	सहायक प्रबन्धक	2	तत्काल प्रभाव से	लेवल–6(रू0–35400–112400)
6	आशुलिपिक	2	तत्काल प्रभाव से	लेवल–5(रू0–29200–92300)
7	मेला अमीन	2	तत्काल प्रभाव से	लेवल–2(रू0–19900–63200)
8	पर्यवेक्षक	7	तत्काल प्रभाव से	लेवल–2(रू0–19900–63200)
9	कनिष्ठ सहायक	2	तत्काल प्रभाव से	लेवल–3(रू0–21700–69100)
10	दफ्तरी	1	तत्काल प्रभाव से	आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।
11	चालक	2	तत्काल प्रभाव से	आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।
12	मोटर बोट चालक	2	तत्काल प्रभाव से	आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।
13	चपरासी	5	तत्काल प्रभाव से	आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।
14	टेलीफोन अटेण्डेंट	1	तत्काल प्रभाव से	आउट सोसिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।
		30		

AKGO

2. उपरोक्त सृजित पदों पर कोई नई नियुक्तियाँ नहीं की जायेगी, बल्कि सृजित पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा एवं इनकी सेवा शर्तें पूर्व की भाँति ही रहेगी।

3. तालिका के कमांक–1 से 8 उल्लिखित पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते अनुमन्यता के आधार पर देय होगें।

4. यदि प्रश्नगत पदों में से किसी पद पर कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, इलाहाबाद के कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जो उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति भत्ता वाह्य सेवा नियुक्त होने पर ही अनुमन्य है। कलेक्ट्रेट के ऐसे कर्मचारी मेला अधिष्ठान में स्थानान्तरित माने जायेंगे। मेला अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल मेला अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9 के 25 के अधीन स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारियों को मेला अधिष्ठान में नियुक्त से पूर्व कलेक्ट्रेट में मिल रहे मूल वेतन अनुमन्य होगा।

5. तालिका के कमांक– 09 से 14 पर उल्लिखित कार्मिकों को पंजीकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से न्यूनतम निविदा के आधार पर लिया जायेगा तथा उक्त कार्मिकों को संबंधित फर्म द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक एवं अन्य अपेक्षित देयकों का भुगतान जायेगा तथा कार्मिकों से संविदा के आधार पर किसी भी दशा में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।

7. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–37 के पूँजीलेखा के लेखाशीर्षक 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–06–अर्द्धकुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–8–569/दस–2018, दिनांक 28 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Manoj 28.2.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–77 (1)/9–1–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. नियुक्ति अनुभाग–1/2/3
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
10. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

AKGO